न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट पुरवा उन्नाव।

UPUN120014402017

उपस्थित– हिमानी गौतम, उ0प्र0 न्यायिक सेवा।

वाद संख्या–2364/2017

सरकार बनाम रामचन्द्र

कथानक अभियुक्त नाम–रामचन्द्र पुत्र फूलचन्द्र लोध निवासी गोबरहा, थाना बिहार जिला उन्नाव।

अ0सं0–249/2017
धारा–60 आबकारी अधि0,
थाना–बिहार, उन्नाव

प्रश्न संख्या 1– अभियोजन पक्ष का कथन के सम्बन्ध में आपको क्या कहना है ?

उत्तर– कुछ नहीं कहना है।

प्रश्न संख्या –2 क्या आपके द्वारा स्वेच्छया पूर्वक जुर्म स्वीकार का प्रार्थनापत्र दिया गया ?
उत्तर– जी हॉ।

प्रश्न संख्या –3 आपके विरूद्ध मुकदमा क्यों चला ?
उत्तर– क्यों कि मैने अपराध किया।

प्रश्न संख्या –4 क्या कुछ और कहना है ?
उत्तर– जी नहीं।

सुनकर तस्दीक किया।

अभियुक्त की परीक्षा मेरी उपस्थिति में
की गयी जिसमें अभियुक्त द्वारा किये
गये कथनों का विवरण पूर्ण सही है।

दिनांकः–23.06.2026

(हिमानी गौतम)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
पुरवा,उन्नाव।

अभियुक्त के द्वारा जिलाकारागार से जुर्म स्वीकार का प्रार्थनापत्र प्रेषित किया गया तथा आज अभियुक्त जिलाकारागार से तलब होकर उपस्थित है। अभियुक्त का बयान लेखबद्ध किया गया। अभियुक्त ने स्वेक्षापूर्वक अपना अपराध स्वीकार किया है। अभियोजन की ओर से दाखिल आभिलेखों, अभियुक्त की संस्वीकृति बयान के आधार पर उसे प्रस्तुत मामले में धारा 60 आबकारी अधि0, के दंण्डनीय अपराध हेतु दोषी पाते हुए, दोष सिद्ध किया जाता है। अभियुक्त जिलाकारागार

से उपस्थित होकर न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है। उसे दंण्ड के बिन्दु पर सुना जाएगा।

दिनांकः–23.06.2026

(हिमानी गौतम)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
पुरवा,उन्नाव।

दंण्ड के बिन्दु पर अभियुक्त को सुना। अभियुक्त की ओर से यह कथन किया गया है कि वह मजदूरी का काम करता है, वह अत्यन्त गरीब है। उसे कम से कम दण्ड से दण्डित किया जाय। जब कि विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रावधान के अनुसार अधिकतम दण्ड दिये जाने की याचना की गयी है।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रकरण वर्ष 2017 से लम्बित है। अभियुक्त मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन करता है। वह इसके पूर्व भी जेल में निरूद्ध रह चुका है। अभियुक्त को निम्न दंण्ड़ से दण्डित किया जाना उचित है।

<u>आदेश</u>

मु0सं0–2364/2017, मु0अ0सं0–249/2017, थाना बिहार, उन्नाव के प्रकरण में अभियुक्त रामचन्द्र को धारा 60 आबकारी अधि0 के दंण्डनीय अपराध हेतु उक्त अपराध में जेल में बितायी गयी अवधि से दण्डित किया जाता है। अभियुक्त द्वारा इस मुकदमें में पूर्व में जेल में बितायी गयी अवधि को सजा की अवधि में समायोजित की जाये।

बाद मियाद अपील बरामद माल नियमानुसार निस्तारित हो, तथा निर्णय की एक प्रति अभियुक्त को निःशुल्क प्रदान की जाय।

दिनांक–23.06.2026

(हिमानी गौतम)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
पुरवा,उन्नाव।

उपरोक्त निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक–23.06.2026

(हिमानी गौतम)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
पुरवा,उन्नाव।